


प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रेलमगरा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुंरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रेलमगरा
व भूअ.नि. रेलमगरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2617 से ह्यार में खाता संख्या 1483 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रेलमगरा	1483	सुरेश पुत्र लालु रेगर	सुरेश चन्द्र पुत्र लालु रेगर



रक्षित अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं रेलमगरा सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 1 राजस्व/2025/32
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 25/9/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री सुरेश चन्द्र लालु रेगर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


रक्षित अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं रेलमगरा सहायक कलक्टर,